मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक/एफ 50/16/1993/42-1/ भोपाल,दिनांक जून, 2003
8/7/03

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय तथा स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय.

विषय:— शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में.

संदर्भ:— इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 14 मई, 2002.

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा अपने समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई, 2002 के द्वारा जारी दिशा--निर्देश एतद्द्वारा द्वारा निरस्त किये जाते है एवं इसके स्थान पर निम्नानुसार दिशा–निर्देश आदेश की तिथि से जारी किये जाते हैं :—

1.0 <u>स्वशासी मद की राशि संस्थानों को निम्नलिखित मदों में प्राप्त होने वाली राशि को "स्वशासी मद में प्राप्त राशि के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा :—</u>

1.1 शिक्षण शुल्क (Tuition fee)

1.2 कन्सल्टेन्सी व टेस्टिंग (केवल वह भाग जो संकाय/कर्मचारियों का पारिश्रमिक के भुगतान एवं कन्सल्टेन्सी/टेस्टिंग को विकलनीय अन्य व्यय के पश्चात् बचता है (Only the balance/amount available after payment of remuneration to faculty and other staff and also after defraying expenses relevant and debitable to consultancy/testing)

1.3 निरन्तर शिक्षा कार्यकमों एवं इसी श्रेणी के शैक्षणिक कार्यकमों/विस्तार सेवाओं के संचालन से आय (Income from organization of academic programmes such as continuing education, extension services, training for various organizations and similar programmes)

1.4 आवेदन शुल्क (Application Fee)

1.5 फार्म की विक्री (Sale of Forms)

1.6 स्थानीय कीड़ा शुल्क (Local Games Fee)

1.7 स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क(Transfer Certificate Fee)

1.8 विविध शुल्क (Miscellaneous Fees) (क्रमांक 1.1 से 1.7 के अलावा)

1.9 जुर्माने एवं दण्ड से प्राप्त आय (income from fines & penalties)

1.10 अमलगमेटेड निधि (Amalgamated Fund)

1.11 घास की नीलामी (income from auction of grass)

1.12 रद्दी एवं अनुपयोगी सामग्री की ऐसी बिक्री (Sale of old news papers, other nonusable material) जो राज्य सरकार की राजस्व की श्रेणी में न आती हो ।

1.13 केन्टीन ,सायकल शेड, किओस्क एवं अन्य ऐसी ही सेवाओं के लिये उपलब्ध कराये गये स्थान के किराये की राशि (Rentals for the space permitted to be used for canteen, cycle shed, kiosk and similar services)

1.14 जप्त की गई या गत 2वर्ष से वापस न ली गई धरोहर राशि (forfeited earnest money or earnest money not claimed for 2 years or more)

2.0 बैंक –

स्वशासी मदों से प्राप्त राशि का संस्था के द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा के खाते में ही रखा जावे, बैंक तथा शाखा के नाम का अनुमोदन शासी निकाय/प्रबंधन समिति से प्राप्त किया जाय ।

3.0 कार्पस फण्ड–

3.1 स्वशासी मदों से जो राशि अर्जित की जाती है उसका न्यूनतम 10 प्रतिशत अनिवार्य रुप से संस्था के कार्पस फण्ड में जमा किया जाये, जिसका पृथक खाता उसी बैंक की उसी शाखा में हो जो पैरा 2.0 के अनुसार इसके लिये चयनित हो ।

3.2 कार्पस फण्ड में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि के 50 प्रतिशत का उपयोग संस्था के विकास कार्यों के लिये किया जा सकता है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में इसे कार्पस फण्ड खाते से निकाल कर मुख्य खाते में जमा कराया जा सकता है । शेष 50 प्रतिशत राशि कार्पस फण्ड में ही जमा रहेगी । इससे कार्पस फण्ड में वृद्धि होगी तथा मुद्रास्फीति का दीर्घकालीन विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कार्पस फण्ड की राशि को उसी बैंक शाखा में अधिक ब्याज अर्जित करने के लिये एफ.डी./टी.डी.आर. इत्यादि में रखा जा सकता है जिसमें कार्पस फंड की राशि जमा है ।

3.3 किसी भी वित्तीय वर्ष में संस्था द्वारा स्वशासी मदों से जितनी आय अर्जित की जाती है उससे कार्पस फण्ड में जमा राशि को कम कर एवं कार्पस से ब्याज के रूप में पैरा 3.2 के अनुसार जो राशि प्राप्त होगी है उसे जोड़ने के पश्चात् जो राशि उपलब्ध होती है उस राशि का उपयोग संस्था द्वारा विकास कार्यों में किया जायेगा ।

3.4 उपरोक्तानुसार करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी वर्ष में यदि उपयोग बाद राशि वर्षांत में बचती है तो उसका उपयोग अगले वर्ष के लिये केरी फारवर्ड करते हुये किया जा सकता है । तब भी वर्षांत में बची राशि अगले वर्ष के दौरान "स्वशासी मदों से प्राप्त राशि" के 20 प्रतिशत से यदि अधिक होती है तो इस 20 प्रतिशत के ऊपर की राशि को कार्पस फण्ड में जमा करना अनिवार्य होगा । यह व्यवस्था इसलिये की जा रही है कि वर्षा–वर्ष राशि के उपयोग न होने की स्थिति में किसी एक वित्तीय वर्ष में एक सीमा से अधिक राशि व्यय हेतु उपलब्ध न हो सके ।

4.0 व्यय के मद :-

स्वशासी मदों से उपलब्ध होने वाली राशि संस्था के निम्नलिखित विकास कार्यों पर व्यय की जा सकेगी :-

4.1 तकनीकी शिक्षण संस्थानों के गुणात्मक विकास के लिए विश्व बैंक सहायित तकनीकी शिक्षा गुणात्मक सुधार कार्यक्रम (TEQIP) वर्ष 2003–04 से लागू किया गया है । इसके प्रथम चरण में प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को शामिल किया गया है । पोलीटेक्निक महाविद्यालयों को शामिल करने की कार्यवाई चल रही है । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पोलीटेक्निक महाविद्यालयों को राशि ऋण के रूप में दी जायेगी । ऋण अदायगी महाविद्यालय को निर्धारित शर्तों पर की जानी होगी, जिसकी व्यवस्था संस्थानों के द्वारा स्वशासी मद से प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी । इस प्रकार से ऋण अदायगी (Debt Servicing) के लिए व्यय के मद में अधिकतम 50 प्रतिशत राशि रखी जायेगी ।

4.2 नये पाठ्यक्रमों के लिये प्रयोगशाला उपकरणों, पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की प्रयोगशाला उपकरणों के अद्यतन तथा नये उपकरण के लिए, आफिस आटोमेशन, लाइब्रेरी आटोमेशन, व्याख्यान कक्षों के उन्नयन आदि के लिये उपकरणों तथा सॉफ्टवेयरों का क्रय ।

4.3 व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं, छात्रावास और कार्यालय के लिये फर्नीचर का क्रय ।

4.4 संस्था के भवन, छात्रावास की अत्यावश्यक मरम्मत (जिसके लिये सामान्य पोषण अनुदान से प्रावधान नहीं है) खेल मैदानों का विकास, प्रकाश व्यवस्था, नये एल.टी./एच.टी. कनेक्शन पर होने वाले व्यय ।

4.5 ग्रंथालयों में पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, प्रोसिडिंग्स का क्रय ।

4.6 संस्था में सुरक्षा एवं सफाई की व्यवस्था के लिये शासन द्वारा ये पद स्वीकृत किये गये हैं। इन पदों के रिक्त रहने के कारण संस्थाओं में सुरक्षा एवं सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है । अतः स्वशासी मद से जमा होने वाली राशि से यह व्यवस्था ठेके पर की जा सकती है, किन्तु इस व्यवस्था पर होने वाले व्यय की राशि संस्था में इन कार्यों के लिये स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के कारण हो रही बचत से अधिक नहीं होगी । ऐसे सभी प्रकरणों में संचालक, तकनीकी शिक्षा का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

4.7 जिन नये पाठ्यक्रमों के लिये राज्य शासन के द्वारा पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं उनके पठन–पाठन के लिये गेस्ट फेकल्टी को मानदेय का भुगतान ।

4.8 संस्था की सोसायटी एवं संचालक मंडल/प्रबंधन समिति के अशासकीय सदस्यों को मानदेय एवं यात्रा भत्ता का भुगतान

4.9 शिक्षकों को सेमीनार, कान्फ्रेन्स इत्यादि में भाग लेने पर होने वाला व्यय ।

4.10 संस्था में आई.एस.डी.एन. लीज लाईन, इंटरनेट, फेक्स की स्थापना एवं उस पर होने वाला आवर्ती व्यय, विभिन्न प्रकार के उपकरणों के वार्षिक संधारण (ए.एम.सी.) पर होने वाला व्यय ।

4.11 अन्य आकस्मिक एवं विविध व्यय ।

5.0 लेखा एवं आडिट :–

5.1 स्वशासी मदों से प्राप्त राशि के लेखे के संधारण के लिये प्रत्येक संस्था द्वारा डबल एंट्री सिस्टम पद्धति अपनाई जाये ।

5.2 स्वशासी मदों से प्राप्त राशि के आय–व्यय के लेखे का अंकेक्षण प्रतिवर्ष शासी निकाय/प्रबंधन समिति के अनुमोदन से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन माह के अंदर अनिवार्य रूप से कराया जाये । शासी निकाय/प्रबंधन समिति द्वारा इस तरह नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट का कार्यकाल नियुक्त दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगा । इस प्रयोजन के लिए व्यय के लिये इसी मद का उपयोग किया जा सकेगा ।

(256)

5.3 चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा लेखा अंकेक्षण की रिपोर्ट शासी निकाय/प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत संचालक तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य रुप से प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के पूर्व प्रेषित की जाये ।

6.0 नियोजन –

6.1 प्राचार्य को इन निर्देश के अध्याधीन रहते हुये वार्षिक नियोजन करना चाहिये । इस तरह बनाये गये प्लान का अनुमोदन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व ही शासी निकाय/प्रबंधन समिति से प्राप्त करना चाहिये, तदोपरान्त इसका अनुमोदन राज्य शासन स्तर पर गठित स्थायी वित्त समिति (Standing Finance Committee) से 15 अप्रैल के पूर्व प्राप्त करना चाहिए, ताकि 1 मई से इस राशि से व्यय किया जा सके ।

6.2 किसी भी वित्तीय वर्ष में पैरा 6.1 के अनुसार बनाये गये प्लान की वित्तीय सीमाओं जिनका उल्लेख परिशिष्ट "एक" एवं "दो" में है, के लिये ही क्रय अथवा सेवा आदेश दिये जा सकेंगे । ऐसा करते समय यह हो सकता है कि आदेश देने के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान आंशिक भुगतान हो अथवा भुगतान हो ही न पाये । ऐसी अवस्था में अगले वर्ष के लिये उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुये व कार्य भुगतानों के लिये प्रावधान करने के बाद ही नये आयतन अथवा सेवा के लिये नियोजन किया जाये एवं प्रावधान किया जाये । अपूर्ण कार्य के लिये वार्षिक व्यय सीमा के बाहर प्रावधान नहीं किया जा सकेगा ।

7.0 पुनर्विनियोजन –

7.1 व्यय के किसी एक मद के लिए निश्चित राशि में बचत संभावित हो तो उसका अन्य व्यय के मद में पुनर्विनियोजन किया जा सकता है । प्राचार्य इस प्रकार के पुनर्विनियोजन जिसकी अधिकतम सीमा प्रावधानित राशि का 5 प्रतिशत अथवा रुपये 50,000 जो भी कम हो, के लिए अधिकृत होंगे । इस प्रकार से पुनर्विनियोजन करने के पश्चात् प्राचार्य को उनकी संस्था की शासी निकाय/प्रबंधन समिति को इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। प्रावधानित राशि का 10 प्रतिशत अथवा रुपये 1,00,000 जो भी कम हो, का पुनर्विनियोजन शासी निकाय/प्रबंधन समिति द्वारा किया जा सकेगा । इससे अधिक राशि के पुनर्विनियोजन के अधिकार संचालक की अनुशंसा पर शासन को होंगे ।

8.0 विभिन्न मदों में व्यय की निर्धारित सीमा :–

8.1 कंडिका 4.0 में बताये गये व्यय के लिये निर्धारित की गई अधिकतम सीमा का विवरण संलग्न परिशिष्ट "एक" पर उन संस्थानों के लिए दिया गया है जो विश्व बैंक सहायित परियोजना में शामिल होगी । परिशिष्ट "दो" का विवरण ऐसी संस्थानों के लिये है जो परियोजना में शामिल नहीं है । संस्था प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वशासी मद में जमा राशि का उपयोग परिशिष्ट में बताई गई सीमा के अंदर ही हो । परिशिष्ट "तीन" एवं "चार" पर स्वशासी मद में जमा राशि के उपयोग का एक–एक प्रकरण उदाहरण के लिये दिया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(आर. परशुराम)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.

(258)

पृ0कमांकःएफ–50/16/1993/42–1/ भोपाल,दिनांक मई;2003

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई के लिये –

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
2. निज सहायक मा0 मंत्रीजी एवं अध्यक्ष सोसायटी पोलीटेकनिक महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन/ग्वालियर/दमोह/भोपाल/धार.
3. अध्यक्ष, शासी निकाय पोलीटेकनिक, खंडवा/जावरा/नौगांव.
4. अध्यक्ष, प्रबंध समिति, समस्त शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय.
5. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
6. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल.

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.

परिशिष्ट –"एक"

शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों जो विश्व बैंक सहायित TEQIP में शामिल होंगें, में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि का उपयोग.

1.	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि	–	
2.	कार्पस फण्ड में जमा राशि पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का 50 प्रतिशत (कृपया टीप–1 देखें)	–	
3.	योग	–	
4.	कार्पस फण्ड में जमा की जाने वाली राशि.	–	
5.	वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि	–	

व्यय के मद :–

1.	विश्व बैंक परियोजना के लिए प्राप्त राशि की अदायगी (Debt Servicing)	–	50 प्रतिशत राशि
2.	प्रयोगशालाओं के उपकरण, आफिस आटोमेशन, लायब्रेरी आटोमेशन, व्याख्यान कक्षों का उन्नयन, हार्डवेयर, साफटवेयर का क्रय.	––	यदि क्रमांक–1 में अधिकतम 50 प्रतिशत राशि की आवश्यकता नहीं है तो Debt Servicing के लिए राशि का प्रावधान का 50 प्रतिशत की राशि से उसे घटाकर शेष बची राशि का उपयोग क्रमांक 2 से 4 के मदों पर व्यय के लिए किया जा सकता है । उनके बीच अनुपात वही होगा जो परिशिष्ट "दो" में वर्णित है ।
3.	प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर सेंटर, लायब्रेरी, व्याख्यान कक्ष, कार्यालय, छात्रावास के फर्नीचर का क्रय.		
4.	पुस्तकें, शोध पत्रिकायें, प्रोसिडिंग्स का क्रय.		
5.	भवन, छात्रावास की अत्यावश्यक मरम्मत.	–	20 प्रतिशत अधिकतम.
6.	सुरक्षा एवं सफाई की ठेके से व्यवस्था.		रिक्त पदों से होने वाली बचत की राशि अथवा 5 प्रतिशत जो भी कम हो ।
7.	गेस्ट फेकल्टी को मानदेय/कनवेयंस भत्ता/चार्टर एकाउन्टेंट/आडिट फीस आदि का भुगतान.	--	12 प्रतिशत अधिकतम.

8.	शिक्षकों को सेमीनार कांफ्रेंस में भाग लेने पर होने वाला व्यय.	—	03 प्रतिशत अधिकतम.
9.	आई.एस.डी.एन. लीज्ड लाईन्स, फैक्स, इंटरनेट की स्थापना एवं उसके संचालन पर होने वाला व्यय; विभिन्न प्रकरण के उपकरण के वार्षिक संधारण (ए.एम.सी.) पर व्यय.	—	06 प्रतिशत अधिकतम.
10.	समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा मानदेय	—	01 प्रतिशत अधिकतम.
11.	आकस्मिक व्यय	—	03 प्रतिशत अधिकतम.

टीप :— 1) उक्त आयटम 1 से 2 के योग से कार्पस फण्ड में (निर्देशों के पेरा 3.1 अनुसार) जमा की जाने वाली राशि को घटाया जाय । इस तरह वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि का आंकड़ा तैयार होगा ।

(2e1) 10

परिशिष्ट --"दो"

शासकीय/स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों जो विश्व बैंक सहायित TEQIP में शामिल नहीं हैं, में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि का उपयोग.

1.	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि	—
2.	कार्पस फण्ड में जमा राशि पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का 50 प्रतिशत (कृपया टीप–1 देखें)	—
3.	योग	—
4.	कार्पस फण्ड में जमा की जाने वाली राशि.	—
5.	वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि	—

व्यय के मद :–

1.	प्रयोगशालाओं के उपकरण, आफिस आटोमेशन, लायब्रेरी आटोमेशन, व्याख्यान कक्षों का उन्नयन, हार्डवेयर, साफ्टवेयर का क्रय.	—	50 प्रतिशत अधिकतम.
2.	प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर सेंटर, लायब्रेरी, व्याख्यान कक्ष, कार्यालय, छात्रावास के फर्नीचर का क्रय.	—	10 प्रतिशत अधिकतम.
3.	पुस्तकें, शोध पत्रिकायें, प्रोसिडिंग्स का क्रय.	—	07 प्रतिशत अधिकतम.
4.	भवन, छात्रावास की अत्यावश्यक मरम्मत.	—	10 प्रतिशत अधिकतम.
5.	सुरक्षा एवं सफाई की ठेके से व्यवस्था.	—	रिक्त पदों से होने वाली बचत की राशि अथवा 5 प्रतिशत जो भी कम हो ।
6.	गेस्ट फेकल्टी को मानदेय/कन्वेयेंस भत्ता/ चार्टर एकाउन्टेंट/आडिट फीस आदि का भुगतान.	—	08 प्रतिशत अधिकतम.
7.	शिक्षकों को सेमीनार कांफ्रेंस में भाग लेने पर होने वाला व्यय.	—	02 प्रतिशत अधिकतम.

8.	आई.एस.डी.एन.लीज् लाईन्स्, फेक्स, इंटरनेट की स्थापना एवं उसके संचालन पर होने वाला व्यय; विभिन्न प्रकरण के उपकरणों के वार्षिक संधारण (ए.एम.सी.) पर व्यय	-- 05 प्रतिशत् अधिकतम.
9.	समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा मानदेय	-- 01 प्रतिशत् अधिकतम.
10.	आकस्मिक व्यय	-- 02 प्रतिशत अधिकतम.

टीप :– 1) उक्त आयटम 1 से 2 के योग से कार्पस फण्ड में (निर्देशों के पेरा 3.1 अनुसार) जमा की जाने वाली राशि को घटाया जाय । इस तरह वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि का आंकड़ा तैयार होगा ।

(263) 12

परिशिष्ट –"तीन"

शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालय जो विश्व बैंक सहायित TEQIP में शामिल होंगे, में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि का उपयोग का एक उदाहरण.

1.	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि	–	रुपये	50,00,000.00
2.	कार्पस फण्ड में जमा राशि पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का 50 प्रतिशत (कृपया टीप–1 देखें)	–	रुपये	50,000.00
3.	योग	–	रुपये	50,50,000.00
4.	कार्पस फण्ड में जमा की जाने वाली राशि.	–	(–) रुपये	5,05,000.00
5.	वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि	–	रुपये	45,45,000.00

व्यय के मद :–

1.	विश्व बैंक परियोजना के लिए प्राप्त राशि की अदायगी (Debt Servicing)	–	रुपये	18,45,000.00
2.	प्रयोगशालाओं के उपकरण, आफिस आटोमेशन, लायब्रेरी आटोमेशन, व्याख्यान कक्षों का उन्नयन, हार्डवेयर, साफटवेयर का क्रय.	–	रुपये	3,19,030.00
3.	प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर सेंटर, लायब्रेरी, व्याख्यान कक्ष, कार्यालय, छात्रावास के फर्नीचर का क्रय.	–	रुपये	63,806.00
4.	पुस्तकें, शोध पत्रिकायें, प्रोसिडिंग्स का क्रय.	–	रुपये	44,664.00
5.	भवन, छात्रावास की अत्यावश्यक मरम्मत.	–	रुपये	9,09,000.00
6.	सुरक्षा एवं सफाई की ठेके से व्यवस्था.	–	रुपये	2,27,250.00
7.	गेस्ट फेकल्टी को मानदेय/कन्वेंस भत्ता/चार्टर्ड अकाउंटेन्ट/आडिट फीस का भुगतान.	–	रुपये	5,45,400.00
8.	शिक्षकों को सेमीनार कांफ्रेंस मे भाग लेने पर होने वाला व्यय.	–	रुपये	1,36,350.00

9.	आई.एस.डी.एन.लीज लाईन्स, फैक्स, इंटरनेट की स्थापना एवं उसके संचालन पर होने वाला व्यय.	—	रुपये	2,72,700.00
10.	समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा मानदेय	—	रुपये	45,450.00
11.	आकस्मिक व्यय	—	रुपये	1,36,350.00
	योग —		रुपये	45,45,000.00

टीप :— 1) उक्त आवंटन 1 से 2 के योग से कार्पस फण्ड में (निर्देशों के पेरा 3.1 अनुसार) जमा की जाने वाली राशि को घटाया जाय । इस तरह वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि का आंकड़ा तैयार होगा ।

परिशिष्ट –"चार"

शासकीय/ स्वशासी पोषित पोलीटेक्निक महाविद्यालयों जो विश्व बैंक सहायित TEQIP में शामिल नहीं हैं, में स्वशासी मदों से प्राप्त राशि का उपयोग का एक उदाहरण.

1.	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि	–	रुपये	50,00,000.00
2.	कार्पस फण्ड में जमा राशि पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का 50 प्रतिशत (कृपया टीप–1 देखें)	–	रुपये	50,000.00
3.	योग	–	रुपये	50,50,000.00
4.	कार्पस फण्ड में जमा की जाने वाली राशि.	–	(–) रुपये	5,05,000.00
5.	वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि	–	रुपये	45,45,000.00

व्यय के मद :–

1.	प्रयोगशालाओं के उपकरण, आफिस आटोमेशन, लायब्रेरी आटोमेशन, व्याख्यान कक्षों का उन्नयन, हार्डवेयर, साफ्टवेयर का क्रय.	–	रुपये	22,72,500.00
2.	प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर सेंटर, लायब्रेरी, व्याख्यान कक्ष, कार्यालय, छात्रावास के फर्नीचर का क्रय.	–	रुपये	4,54,500.00
3.	पुस्तकें, शोध पत्रिकायें, प्रोसिडिंग्स का क्रय.	–	रुपये	3,18,150.00
4.	भवन, छात्रावास की अत्यावश्यक मरम्मत.	–	रुपये	4,54,500.00
5.	सुरक्षा एवं सफाई की ठेके से व्यवस्था.	–	रुपये	2,27,250.00
6.	गेस्ट फेकल्टी को मानदेय/कन्वेयंस भत्ता/ चार्टर एकाउन्टेंट/आडिट फीस आदि का भुगतान.	–	रुपये	3,63,600.00
7.	शिक्षकों को सेमीनार कांफ्रेंस में भाग लेने पर होने वाला व्यय.	–	रुपये	90,900.00

8.	आई.एस.डी.एन.लीज लाईन्स, फेक्स, इंटरनेट की स्थापना एवं उसके संचालन पर होने वाला व्यय.	—	रुपये	2,27,250.00
9.	समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा मानदेय	—	रुपये	45,450.00
10.	आकस्मिक व्यय	—	रुपये	90,900.00
		योग :—	रुपये	45,45,000.00

टीप :— 1) उक्त आयटम 1 से 2 के योग से कार्पस फण्ड में (निर्देशों के पेरा 3.1 अनुसार) जमा की जाने वाली राशि को घटाया जाय । इस तरह वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि का आंकड़ा तैयार होगा ।